न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 34/2021 राजस्व वाद

अनवान

धर्मा गुर्जर पुत्र श्री पन्ना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– वादी

बनाम

1. लाडू पुत्र श्री नैना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. चान्दू पुत्र श्री दयाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सुखदेव पुत्र श्री दयाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी
3. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 एक तरफा कार्यवाही अनुपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक– 11/01/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर. टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 285/129 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रहा है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी व अन्य आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 43/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 17 सत्रह मई 2019 दो हजार उन्नीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन को होने पर उसके द्वारा माह मई 2019 मे ही अराजी नम्बर 285/129 के उत्तरी पूर्वी कोने मे 08 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 व 04 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 ने कब्जा कर अपनी आराजी मे मिला दिया, जिससे दिनांक 03 तीन जून 2019 दो हजार उन्नीस [illegible] आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर [illegible] 285/129 पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन का [illegible] गया। वादी ने दिनांक 18 अठारह जनवरी 2021 दो हजार इक्कीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये [illegible] को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु [illegible] लेकिन प्रतिवादीगण [illegible] और इंकार हो गये। इस पर वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर उसे कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 10:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण उपस्थित हुए, आगामी पेशी पर उपस्थित नही होने से दिनांक 17.08.21 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 ने सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर अराजी नम्बर 285/129 के उत्तरी पूर्वी कोने मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा 08 बिस्वा भूमि पर तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा 04 बिस्वा भूमि पर इस प्रकार कुल 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे।
खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखंड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखंड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 10:00:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 34/2021 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 आर.टि.एक्ट

धर्मा गुर्जर पुत्र श्री पन्ना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– वादी

बनाम

1. लाडू पुत्र श्री नैना गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. चान्दू पुत्र श्री दयाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सुखदेव पुत्र श्री दयाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

–––

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित मे इस वाद के आज दिनांक 11.01.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 ने सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर अराजी नम्बर 285/129 के उत्तरी पूर्वी कोने मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा 08 बिस्वा भूमि पर तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा 04 बिस्वा भूमि पर इस प्रकार कुल 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें ।

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेगें।

आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 10:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)